कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

संख्या 3060 /दस-185(1)/शीरा-नीति/2001-2002, इलाहाबाद, दिनाँक, जनवरी 03, 2002

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या-8018/दस-185(1)/शीरा नीति /2000-2001 दिनाँक-21.12.2000 एवं आदेश संख्या- 2694 /दस-185(1)/शीरा नीति / 2001-02 दिनाँक -11.12.2001 के सन्दर्भ में, मैं प्रवीर कुमार शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 की धारा-8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-3963 ई-2/तेरह-2001-2 78/2001 दिनाँक- 28.12.2001 के क्रम में शीरा वर्ष 2001-2002 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में निम्न आदेश देता हूँ ।

(1) गत वर्ष की भाँति चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे को शत-प्रतिशत बिक्री हेतु नियंत्रण मुक्त रखा जाता है ।

(2) शीरा वर्ष 2001-2002 में प्रत्येक चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी । चीनी मिलों द्वारा उत्तरांचल राज्य में स्थित रासायनिक इकाइयों को बिक्री किए गये शीरे की मात्रा को इस 10 (दस) प्रतिशत अंश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(3) शीरे पर देय प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2000-2001 में प्रचलित दर के अनुसार यथावत् लागू रहेगी तथा उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाइयों को आपूर्ति किए जाने वाले शीरे पर पूर्व की भाँति 5/= (पाँच) रूपये प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क लिया जायेगा । इस प्रकार उत्तरांचल राज्य की केमिकल इकाइयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे की आपूर्ति की अधिकतम सीमा 20(बीस) लाख कुन्टल होगी । यह सुविधा रेसीप्रोकल (Reciprocal) आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी । उत्तरांचल के रासायनिक उद्योगों को शीरा आपूर्ति के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध भी रहेगा कि इसका उपयोग पेय मदिरा बनाने में नहीं किया जायेगा ।

(4) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे का निर्यात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर ही किया जायेगा ।

3/1/02

(प्रवीर कुमार)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 3061-3381 /दस-185(1)/शीरा-नीति /2001-2002/ तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, लखनऊ ।
2. आबकारी आयुक्त, कैम्प कार्यालय, लखनऊ ।
3. समस्त संयुक्त / उप आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

.... 2

4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5. समस्त उप आबकारी निरीक्षक/ अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।

6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ, लखनऊ ।

7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ ।

8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।

9. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून को इस आशय से भेजी जाती है कि मेसर्स आई. जी. एल. काशीपुर, जनपद-उधमसिंहनगर तथा अन्य कोई रासायनिक उद्योग जो उत्तरांचल राज्य में स्थापित हों, उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से चालू शीरा सत्र 2001-2002 में सम्भरित शीरे की मासिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

(प्रवीर कुमार)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।